"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331] रायपुर, शनिवार दिनांक 7 नवम्बर 2009—कार्तिक 16, शक 1931

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29.—अतएव आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 सन् 1955) की धारा 3 एवं (5) सहपठित भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (खाद्य विभाग) के आदेश क्र. जी. एस. आर. 800 दिनांक 09 जून, 1978 भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले का विभाग) द्वारा जारी (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचालन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2003, क्र. जी. एस. आर. 490 (ई) दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

(1) खण्ड 7 के उपखण्ड में (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

(2) कलेक्टर किसी भी मिलर को ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी तथा भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं धारित धान के किसी भी स्टाक की कस्टम मिलिंग करने के निर्देश दे सकेगा;

परन्तु कलेक्टर किसी भी मिलर को उसकी वार्षिक मिलिंग क्षमता के आधा से अधिक की कस्टम मिलिंग करने के निर्देश इस उपखंड के अंतर्गत नहीं देगा;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07 नवंबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 7th November 2009

NOTIFICATION

No. F 4-7/Food/2005/29.—Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of food) No. G. S. R. 800 dated 09th June 1978, Removal of (Licensing Requirement, Stocks limits and Movement Restrictions) Order, 2003 No. G.S.R. 490 (E) dated 16th June, 2003 issued by Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), with the prior concurrence of the Central Government, the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order, 2007, namely :—

AMENDMENTS

In the said order,—

(1) For sub-clause (2), of clause-7, the following sub-clause shall be substituted, namely :—

(2) Collector may at any time on such terms and conditions as may be notified by the State Government from time to time direct any miller to custom mill paddy procured and held in stock under price support scheme by the State Government or any of its agencies or Government of India or any of its agencies ;

Provided that the Collector shall not direct any miller to custom mill more than half of his annual milling capacity under this sub clause.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 नवम्बर 2009—कार्तिक 18, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-14/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्रामों को नगर पंचायत खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव की सीमा में सम्मिलित करते हुए नगरपालिका खैरागढ़ गठित करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगरपालिका, खैरागढ़ का विवरण निम्नानुसार है :- -

क्रमांक	नगरपालिका खैरागढ़ में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के नाम	जनसंख्या वर्ष 2001
(1)	(2)	(3)
1.	खैरागढ़ (नगर पंचायत)	15157
2.	अमलीडीहखुर्द	1187
3.	लालपुर	680
4.	मोंगरा	354
5.	पिपरिया	2307
6.	धनेली	634
	योग	20319

अनुसूची-2

खैरागढ़ नगरपालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :—

राजस्व ग्राम-अमलीडीहखुर्द, लालपुर, मोंगरा, पिपरिया, धनेली एवं नगर पंचायत खैरागढ़ की सीमाएं ही नगरपालिका खैरागढ़ की सीमाएं होंगी.

Raipur, the 7th November 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-14/18/2009.—In exercise of powers conferred by Section 5 (1) (a) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby include the following Villages in the boundry of Nagar Panchayat Khairagarh hereby to constitute a Nagar Palika, Khairagarh in District-Rajnandgaon as given in the following Schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the Nagar Palika Khairagarh is as under :—

Sl. No. (1)	Proposed Villages to be included in Nagar Palika Khairagarh (2)	Population (Yr. 2001) (3)
1.	Khairagarh (Nagar Panchayat)	15157
2.	Amleedeehkhurd	1187
3.	Lalpur	680
4.	Mongra	354
5.	Pipriya	2307
6.	Dhanelee	634
	Total	**20319**

SCHEDULE-2

The boundaries of the Nagar Palika Khairagarh is as below :—

The Boundaries of Nagar Palika Khairagarh shall include the boundarics of existing revenue Villages-Amleedeehkhurd, Lalpur, Mongra, Pipriya, Dhanelee and Nagar Panchayat Khairagarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.